

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 20.7.2013

विषय :- माँग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण, विपत्र कोड-50P470200796200543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग / 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य	05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण / 50P470200796200543	135.604

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ पैंतीस लाख साठ हजार चार सौ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-2014 के बजट उपबंध ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ऑफ़र नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 51

रॉची, दिनांक :- 20.7.2013

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/खूँटी/जमशेदपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 51

रॉची, दिनांक :- 20.7.2013

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पौंच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव


(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

पत्रांक - 51

/ सैची, दिनांक - 20.7.2013 परिशिष्ट - 1

मौग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोग,
उपशीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्मोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 43 अनुसूचण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण,
विपत्र कोड-50P470200796200543
बजट उपबंध (वर्ष 2013-14) रु. 200.00 लाख

राशि (लाख ₹ में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमंडल	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 13 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उद्वह सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।											
1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, सैंची	सैंची	सिल्ली	1	बिसरिया (पूर्व) का उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	20.280	21.107	0.000	2.000	2.000
			सिल्ली	2	बिसरिया (पश्चिम) उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	22.670	18.684	0.000	4.000	4.000
			अनगाडा	3	तुरुप उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	23.570	22.248	0.000	2.000	2.000
			अनगाडा	4	जामुआरी उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	27.800	23.137	0.000	5.000	5.000
						योग		0.000	13.000	13.000	
2	लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी	खूँटी	खूँटी	1	जमुआदाग उ०सि०यो० का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	6.750	7.935	0.000	0.104	0.104
			भुरहू	2	माहित उ०सि०यो० का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	9.280	5.029	0.000	4.000	4.000
			राहे	3	नावाडीह उ०सि०यो० का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	21.000	18.212	0.000	3.000	3.000
			सोनाहातु	4	ईवाहातु उ०सि०यो० का पुनर्स्थापन	26/10.12.10	33.180	22.793	0.000	7.500	7.500
						योग		0.000	14.604	14.604	
मध्यम सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन											
3	लघु सिंचाई प्रमण्डल, सैंची	सैंची	सिल्ली	1	बडा चौराग म.सि.योजना का पुनर्स्थापन	13/26.07.12	55.600	2.000	0.000	35.000	35.000
			सिल्ली	2	एसल मध्यम सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन	21/30.08.12	104.310	20.693	0.000	35.000	35.000
			सिल्ली	3	साहेबबाँध तालाब योजना का पुनर्स्थापन	57/28.03.11	168.480	162.463	0.000	14.000	14.000
			पू० सिंहभूम	4	साहेबबाँध तालाब योजना का जीर्णोद्धार	56/28.03.11	138.370	161.006	0.000	4.000	4.000
3	लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर	पू० सिंहभूम	पटमदा	4	अरकिया सोतिया म.सि.योजना का पुनर्स्थापन	09/18.06.12	95.350	24.534	0.000	20.000	20.000
			खूँटी	5							
						योग		0.000	108.000	108.000	
						कुल योग		0.000	135.604	135.604	
आवंटित राशि — ₹ एक करोड़ पैंतीस लाख साठ हजार चार सौ मात्र।											

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ पैंतीस लाख साठ हजार चार सौ मात्र।

(अधिकार नाथ)

सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी.सी. निगम)

विशेष सचिव

(एस. के. शतपथी)

प्रधान सचिव